संख्या-50/2026/I/1282602/2026/001-71-2002-001-3-2023

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक-29-03-2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की गोमतीनगर विस्तार में स्थित संस्थान के नवीन परिसर में एम0बी0बी0एस0 तथा नर्सिंग ब्वायज एवं गर्ल्स हास्टल के निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4047/डा0रा0म0लो0आ0सं0/2026/सि0-188, दिनांक 23.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की गोमतीनगर विस्तार में स्थित संस्थान के नवीन परिसर में एम0बी0बी0एस0 तथा नर्सिंग ब्वायज एवं गर्ल्स हास्टल के निर्माण परियोजना के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत परियोजना की शासनादेश संख्या-94/2024/I/788330/2024/71-2002(001)/3 /2023, दिनांक 06-11-2024 द्वारा धनराशि रू0 11486.77 लाख (रूपये एक अरब चौदह करोड़ छियासी लाख सतहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में धनराशि रू0 2060.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-42/2025/I /921908/2025/002-71-2002-001-3-2023, दिनांक-28-03-2025 द्वारा धनराशि रू0 1960.37 लाख अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार अबतक कुल धनराशि रू0 4020.37 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार स्थित नवीन परिसर में एम0बी0बी0एस0 तथा नर्सिंग हेतु ब्वायज हास्टल (क्षमता-447) एवं गर्ल्स हास्टल (क्षमता-447) के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु परियोजना के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रु0 4020.37 लाख (रुपये चालीस करोड़ बीस लाख सैतीस हजार मात्र) (अनुदान संख्या-31 से धनराशि रू0 3176.09 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से धनराशि रू0 844.28 लाख) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. प्रायोजना की लागत रू0 50.00 करोड़ से अधिक है। अतः प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में ई0पी0सी0 मोड़ की समस्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रायोजना का निर्माण कार्य नेशनल मेडिकल कमीशन (एन0एम0सी0) मानक के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
4. कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. लागत का आंकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
6. प्रश्नगत परियोजना की शासनादेश संख्याज-94/2024/1/788330/2024/71-2002(001)/3/2023, दिनांक 07-11-2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।
8. निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
9. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियॉ सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निदेशक का होगा।
10. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन /महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
11. धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 31,76,09,000 (रुपये इकतीस करोड़ छिहत्तर लाख नौ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050400 डा. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर , लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 8,44,28,000 (रुपये आठ करोड़ चौवालीस लाख अट्ठाईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037892800 डा0 राममनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-50/2026/I/1282602/2026/001-71-2002-001-3-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. कार्यालय मुख्य अभियन्ता (तकनीकी सेल), ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग, द्वितीय तल, योजना भवन, लखनऊ।
8. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
9. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।